259

संख्या– 859 / XIII-I / 2013–5(23)2010

प्रेषक,

देवेन्द्र पालीवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार / टिहरी।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 20 जून, 2013

विषयः सी–डैप आधारित कृषि विकास कार्यक्रम–जिला योजनान्तर्गत बजट अवमुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक उत्तराखण्ड के पत्र सं0–कृ0नि0 / 1780 / लेखा–बजट / सी0डैप0 / 2013–14 दिनांक 11 जून, 2013 एवं राज्य योजना आयोग के पत्र सं0–631 / 362–वा0जि0यो0 / रा0यो0आ0 / 2012 दिनांक 27 मई, 2013 एवं शासनादेश सं0–877 / XIII-1/2013-5(23)2010 दिनांक 03 जून, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में सी–डैप आधारित कृषि विकास कार्यक्रम–जिला योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत जनपद हरिद्वार एवं टिहरी हेतु **रू0 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र)** की धनराशि निम्न विवरणानुसार व्यय करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन में रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख में)

क0	जनपद	अनुदान सं0–17 लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–800–अन्य योजनाएं–91–जिला योजना–01–सी–डैप आधारित विकास कार्यक्रम–20–सहायक अनुदान	अनुदान सं0–30 लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–800–अन्य योजनाएं–91–जिला योजना–01–सी–डैप आधारित विकास कार्यक्रम–20–सहायक अनुदान	कुल राशि
1.	हरिद्वार	06.00	04.00	10.00
2.	टिहरी	15.00	05.00	20.00
	योगः	**21.00**	09.00	**30.00**

(रूपये तीस लाख मात्र)

2– स्वीकृत धनराशि यथाशीघ्र मुख्य कृषि अधिकारियों को व्यय हेतु इस प्रतिबन्ध के अधीन अवमुक्त कर दी जाय कि वे इसका उपयोग कृषि निदेशालय द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक माह की प्रगति अगले माह की दस तारीख तक अनिवार्य रूप से विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायेंगे।

3– स्वीकृति धनराशि का उपयोग शासन के वर्तमान संसुगत आदेशों / निर्देशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुवल, स्टोर पर्चेज नियमों / प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 में निहित प्रतिबन्धों एवं, शर्तों के अधीन सुनिश्चित किया जाय तथा जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता संबंधी जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

4– बजट मैनुवल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर व्यय विवरण 10 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–8 पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा विभागाध्यक्ष द्वारा 20 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर संकलित व्यय विवरण वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–17 एवं 30 के आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत प्रस्तर–1 की तालिकानुसार लेखाशीर्षक–2401 की मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के शा0स0–183/XXVII(1)//2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 में विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से साफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत संलग्न विशिष्ट एलाटमैन्ट आई0डी0 दिनांक 19 जून, 2013 तथा वित्त विभाग के शासनादेश सं0–284/XXVII(1)//2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 एवं राज्य योजना आयोग के पत्र सं0–631/362–वा0जि0यो0/रा0यो0आ0/2013 दिनांक 02 मई, 2013 में दिए गए दिशा–निर्देशानुसार जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(देवेन्द्र पालीवाल)
संयुक्त सचिव

संख्या–859 /XIII-I/2013–5(23)2010/तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मंडल, पौड़ी।
4. कृषि निदेशक उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार/टिहरी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी, उत्तराखण्ड।
7. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मंडल, पौड़ी।
8. मुख्य कृषि अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, कृषि विभाग, हरिद्वार/टिहरी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
10. वरिष्ठ शोध अधिकारी, समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
अनु सचिव